सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-3/2019/1285/90-सं०शि०प०का०/19-02(सं०शि०)/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2019

विषयः- मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन व संसदीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन व संसदीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में जारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में विधान सभा उत्तर प्रदेश की एक "संसदीय अनुश्रवण समिति" का गठन किया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष मा0 अध्यक्ष, विधान सभा है। उक्त समिति द्वारा मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर यह निर्देश दिये गये कि उपरोक्त के संबंध में ज़ारी शासनादेशों का पालन न करने की दशा में समिति की ओर से प्रकरण संसदीय कार्य विभाग को संदर्भित किये जायेंगे। संसदीय कार्य विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण एवं विभागाध्यक्ष से समुचित कार्यवाही की अपेक्षा करते हुए अपनी टिप्पणी इस समिति के समक्ष प्रस्तावित दण्ड/ कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

1- सं0-2586/79-सं-1-2007-66सं/1988, दि0 14 नवम्बर, 2007
2- सं0-275/79-सं-1-2008-10सं/2008, दि0 06 फरवरी, 2008
3- सं0-1483/79-सं-1-2008-66सं/1988 दि0 30 मई, 2008
4- सं0-2383/79-सं-1-2008-109सं/2008 दि0 21 अक्टूबर, 2008
5- सं0-585/79-सं-1-2009-24सं/2009, दि0 31 मार्च, 2009
6- सं0-762/79-सं-1-2009-66-सं/1988, दि0 28 मई, 2009
7- सं0-643 /79-सं-1-2009-28सं/2009, दि0 18 जून, 2009
8- सं0-545/90-सं-1-2011-38सं/2011, दि0 11 मई, 2011
9- सं0-602/90-सं-1-2011-43सं/2011, दि0 25 मई, 2011
10- सं0-1147/90-सं-1-2012-66सं/1988, दि0 12 अक्टूबर,2012
11- सं0-608/90-सं-1-2013-66सं/1988, दि0 10 मई, 2013
12- सं0-1223/90-सं-1-2013-14सं/2013 दि0 25 सितम्बर,2013
13- सं0-1541/90-सं-1-2013-66सं/2013, दि0 31 दिसम्बर, 2013
14- सं0-1173/90-सं-1-2014-70सं/84 दि0 25 अगस्त, 2014
15- सं0-214/90-सं0शि0प0का/2015-02संशि/2015,दि015-9-2015
16- सं0-831/90-सं0शि0प0का/2016-02संशि/2015,दि0 28-10-2016
17- सं0-478/90-सं0शि0प0का/2017-02संशि/2015,दि0 19-09-2017
18- सं0-555/90-सं0शि0प0का/2017-02संशि/2015,दि0 18-10-2017
19- सं0-1155/90-सं0शि0प0का/2019-02संशि/2015,दि0 22-10-2019

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने स्तर से उक्त आदेशों व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

अतः अपेक्षित है कि उक्त पार्श्वांकित शासनादेशों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

कृपया पृष्ठ-2/--

संख्या-3/2017/1285(1) /90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

6- उ0 प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 सिंह-II)

प्रमुख सचिव।

पत्र संख्या–स्था–1–सामान्य– .2019–20/ / 4186 // वाणिज्यकर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना–राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ दिनांक 11/12/2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या–3/2019/1285/90–स0शि0प्र0का0/19–02(स0शि0)/2015 दिनांक–20 नवम्बर 2019 के कम में सूचनार्थ।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड.1/ ग्रेड.–2 वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियो /कर्मचारियो कोअपने स्तर से उक्त आदेश व निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश !
7. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश
8.. समस्त अनुभाग प्रभारी वाणिज्य कर मुख्यालय ।
9.. समस्त वाणिज्यकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10 डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्यकर मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर प्रर्दशित करने हेतु ।
11.. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्यकर

मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।